

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र०नि० ब्यूरो, झालावाड थाना :— प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :— 2022 प्र०सू०रि० सं ५९१२२ दिनांक १६।२।२२
2. (1) अधिनियम पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018. धाराएँ 7,7 ए पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018 व 120वी आईपीसी  
(2) अधिनियम.....धाराएँ .....(3) अधिनियम.....धाराएँ .....(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएँ .....
3. (क) घटना का दिन :— मंगलवार दिनांक :— 15.02.2022  
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :— 08.02.2022 समय :— 11.00 ए.एम.  
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....३४५ समय .....६.१५ P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई— (लिखित / मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का बौरा :—  
(क) थाने से दिशा एवं दूरी —चौकी ए.सी.बी. झालावाड से करीब 45 किमी० बजानिब दक्षिण-पश्चिम दिशा बीट संख्या .....जुरामदेही सं.....  
(ख) पता— आरोपी का किराया का मकान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल  
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....
6. शिकायतकर्ता / इतिला देने वाला :—  
(क) नाम :— श्री बबलू  
(ख) पिता / पति का नाम :— श्री रोडूलाल प्रजापत जाति कुम्हार  
(ग) जन्म तिथि / उम्र :— 30 साल  
(घ) राष्ट्रीयता — भारतीय  
(ङ) पासपोर्ट संख्या .....जारी करने की तिथि .....जारी करने का स्थान  
(च) व्यवसाय —  
(छ) पता :— ग्राम मगीसपुर तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड।
7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :—
  1. श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म०नं० १-बी-१६ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड राज०
  2. श्री जगदीश पाटीदार पुत्र श्री रामनारायण जाति पाटीदार उम्र 45 साल निवासी कुण्डला प्रताप तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड हाल सहायक सेकेट्री (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड राज०
8. शिकायत / इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :— कोई नहीं
9. चोरी हुई / लिखित सम्पति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई / लिखित सम्पति का कुल मूल्य :— 15,000 रुपये .....
11. पंचनामा / यूडी के संख्या (अगर हो तो ) .....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :—

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री बबलू पुत्र श्री रोडूलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 30 वर्ष निवासी मगीसपुर तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड (राज.) मो.नं. 9772097533 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड पर संवय उपस्थित होकर श्री गोपाललाल हैड कानि. नं. 26 के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री बबलू ने उक्त

प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना बताया जो इस संबंध में किसी को कोई जिक्र नहीं करेगा तथा गोपनीय कार्यवाही को गुप्त रखेगा। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर संय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियापत पर बताया कि वह गांव मगीसपुर का रहने वाला है। उसने अपने गांव के श्री सुन्दर लाल पाटीदार से 5-6 महिने पहले गांव के होली खूंट के पास स्थित एक प्लॉट 25 गुणा 27 वर्ग फुट साईज का एक लाख 70 हजार रुपये में खरीदा था। जिस पर खरीदने के बाद उसने दो कमरे, लेट्रिंग बाथरूम तथा एक दुकान का पक्का निर्माण करा लिया है। वह इस मकान का पट्टा बनवाने के लिए दिनांक 07.02.2022 को ग्राम पंचायत मगीसपुर के ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीज मोहम्मद से ग्राम पंचायत में मिला तो उन्होंने कहा कि तुम श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री जी से मिल लो तुम्हारे मकान का पट्टा बन जाएगा। इस पर वह उसी रोज श्री जगदीश पाटीदार जी से मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीज मोहम्मद जी ने 20 हजार रुपये के लिए कहा है कि बबलू को 20 हजार रुपये देने के लिए बोल देना उसके मकान का पट्टा बन जावेगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं। मकान बनाने में सारा रुपया खर्च हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जब तक 20 हजार रुपये नहीं दोगे तब तक कोई पट्टा नहीं बनेगा। तुम चले जाओ। अगर 20 हजार रुपये की व्यवस्था हो जाये तो मेरे पास आ जाना। मकान का पट्टा बन जाएगा। मैं श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री ग्राम पंचायत मगीसपुर को मेरा मकान का जायज पट्टा बनवाने का कार्य के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उन दोनों को रिश्वत लेते रहे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश अथवा रुपये पैसे का पुराना बकाया लेन देन नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियापत से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7, 7ए व 120बी आईपीसी की परिधी में आता है। चौकी प्रभारी श्री भवानी शंकर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ उपार्जित अवकाश पर चल रहे हैं तथा चौकी हाजा का कार्यभार श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शहर के पास है। अतः श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को जरिये मोबाइल फोन पर श्री गोपाललाल हैड कानि। द्वारा परिवादी श्री बबलू पुत्र रोडूलाल प्रजापत निवासी मगीसपुर जिला झालावाड़ द्वारा कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्र तथा उसमें अंकित तथ्यों के बारे में अवगत करवाया गया। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर द्वारा रिश्वत मांग हेतु गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करने के जरिये मोबाइल निर्देश दिये गये। निर्देशों के पालना में श्री गोपाल लाल हैड कॉन्नि० नं० 26 ने मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकाल कर चेक किया जाकर परिवादी श्री बबलू को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी व श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री से रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने व वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉन्नि० श्री सूरजमल कानि। नं. 521 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री बबलू के साथ जाने हेतु दोनों को आवश्यक हिदायत देकर उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षकर करवाकर बजानिब समय 11.30 एम पर रवाना सुनेल के लिये किया गया। दिनांक 08.02.2022 समय 04:10 पीएम पर श्री सूरजमल कानि। नं. 521 ब्यूरो कार्यालय में उपरिथत आया। जिसने श्री गोपाल लाल हैड कानि। को अवगत कराया कि मैं व श्री बबलू दोनों साथ-साथ अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी के सुनेल कस्बे की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित निजी आवाज के पास पहुंचे। मैं व परिवादी श्री बबलू प्रजापत आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी, मगीसपुर के निजी मकान से कुछ दुरी पर रुककर, मैंने परिवादी श्री बबलू को समझाई कर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद के निजी मकान पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु रवाना किया तथा मैं आरोपी के निजी मकान से कुछ दुरी पर रुक कर अपनी उपरिथति छिपाते हुए परिवादी के लौटने का इन्तजार करने लगा। परिवादी श्री बबलू प्रजापत कुछ समय बाद मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने बताया कि उसकी आरोपी श्री अजीज मोहम्मद जी ग्राम विकास अधिकारी से उनके मकान के बाहर ही मिलने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप हो गई है। परिवादी ने अवगत कराया कि मैंने अपने मकान का पट्टा बनवाने के कार्य से संबंधित वार्तालाप करने पर उन्होंने 15000रुपये श्री जगदीश पाटीदार को देने तथा उनसे सम्पर्क करने के लिए कहा है। इस पर मैंने उनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान 3-4 दिन में 15,000रुपये की राशि की व्यवस्था कर उनसे सम्पर्क करने के लिए कहा है। सत्यापन वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात् परिवादी श्री बबलू प्रजापत को अन्य आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री ने सुनेल में ही लुहार दरवाजे के पास आने के लिए बताया। इस पर श्री जगदीश पाटीदार से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु परिवादी को आरोपी के पास पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भिजवाया गया। परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि आरोपी श्री जगदीश पाटीदार से रिश्वत वार्तालाप के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने उपरान्त गलती से बन्द हो जाने के कारण वार्तालाप

रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। श्री गोपाल लाल हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री बबलू प्रजापत व श्री सूरज मल कानि० द्वारा अवगत कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों के संबंध में जरिये मोबाईल श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया। तथा उनके निर्देशानुसार पुनः परिवादी श्री बबलू प्रजापत को आरोपी श्री जगदीश पाटीदार के पास भिजवाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जावेगा। श्री सूरजमल कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मालखाने मे सुरक्षित रखा गया। तथा परिवादी श्री बबलू प्रजापत को पूर्ण गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 09.02.2022 को प्रातः 8:00 बजे ब्यूरो कार्यालय में आरोपी श्री जगदीश पाटीदार के बारे में मालूमात कर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप हेतु उपस्थित आने की हिदायत देकर रुखसत किया गया। दिनांक 09.02.2022 समय 8:00 एएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। जिसने अवगत कराया कि मैंने आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री के बारे में पता किया है वह अपने गांव कुण्डला में ही उपस्थित है। उसको मेरे पट्टे बनवाने की फाईल, आधार कार्ड व स्टॉम्प पेपर भी देने है। अतः उससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के लिए कुण्डला जाना उचित रहेगा। दिनांक 09.02.2022 समय 9:00 एएम पर आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करायी जानी है तथा परिवादी श्री बबलू प्रजापत के बताये अनुसार आरोपी इस समय ग्राम कुण्डला में उपस्थित है। अतः मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि. द्वारा निकाला जाकर पुनः ऑपरेटिंग करने की विधिवत् प्रक्रिया समझाकर सुपुर्द कर श्री सूरज मल कानि. के साथ निगरानी हेतु ग्राम कुण्डला के लिए रवाना किया गया तथा श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शहर को अब तक की कार्यवाही बाबत् हालात निवेदन किये गया। दिनांक 09.02.2022 समय 5:45 पीएम पर श्री सूरजमल कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री गोपाल लाल हैड कानि. को अवगत करवाया कि निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से परिवादी श्री बबलू प्रजापत के साथ-साथ अपनी अपनी मोटर साईकिलों से रवाना होकर आरोपी श्री जगदीश पाटीदार से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु ग्राम कुण्डला पहुंचे। जहां आरोपी के मकान से कुछ दुरी पर रुककर परिवादी श्री बबलू प्रजापत को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के साथ आरोपी से वार्तालाप करने हेतु उसके निजी मकान के लिए रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने मेरे पास आकर मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर अवगत कराया कि मैं श्री जगदीश पाटीदार के निजी आवास पर गया तो आरोपी घर पर ही उपस्थित मिला जिससे मेरे मकान का पट्टा बनवाने के संबंध में वार्तालाप की गई तो आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री ने कहा कि 15,000रुपये की व्यवस्था करके आ जाना तेरे मकान का पट्टा बन जायेगा। वार्तालाप के दौरान मैंने इस बार डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वार्तालाप रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी ने अवगत कराया कि उसके पास अभी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000रुपये नहीं है तथा वह सोमवार या मंगलवार तक रिश्वत राशि के 15,000रुपये की व्यवस्था कर आरोपी के बारे में मालूमात कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जावेगा। इस पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत को ग्राम कुण्डला से रुखसत किया गया। श्री गोपाल लाल हैड कानि. ने श्री सूरज मल कानि. द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में परिवादी श्री बबलू प्रजापत द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में जरिये मोबाईल श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को अवगत करवाया गया। परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। आयन्दा रुबरु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी व स्वतंत्र गवाहन के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मूर्तिब की जाने हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखा गया। दिनांक 14.02.2022 समय 09:30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपार्जित अवकाश समाप्ति के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित आने पर परिवादी श्री बबलू पुत्र श्री रोड्लाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 30 वर्ष निवासी मगीसपुर तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ द्वारा अपने मकान का पट्टा बनवाने की एवज में आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर व श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री द्वारा 20,000/-रुपये की रिश्वत राशि मांग करने तथा दोनों आरोपियों की रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कराये जाने के संबंध में हालात श्री गोपाल लाल हैड कानि. ने अवगत कराये जाकर पत्रावली सुपुर्द की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 द्वारा की गई अब तक की कार्यवाही के संबंध में सुपुर्द की गई पत्रावली का अवलोकन किया तथा परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर उसके द्वारा आज ही ब्यूरो कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु मय रिश्वत राशि के 15,000रुपये उपस्थित आने बाबत् बताया गया। दिनांक 14.02.2022 समय 10:00 एएम पर उपनिदेशक (कृषि विस्तार), जिला झालावाड़ (राज०) के नाम तहरीर क्रमांक 81 दिनांक 14.02.2022 मूर्तिब कर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाह भिजवाने बाबत् श्री सूरज मल कानि. नं. 521 को देकर कार्यालय उपनिदेशक (कृषि विस्तार), जिला झालावाड़ भिजवाया गया। दिनांक 14.02.2022 समय 10:25 एएम पर कार्यालय उपनिदेशक (कृषि विस्तार), जिला झालावाड़ (राज०) से श्री सूरज मल कानि. नं. 521 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री सूरज मल कानि. ने अवगत कराया कि उपनिदेशक (कृषि विस्तार), जिला

झालावाड़ (राज०) द्वारा गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री चौथमल पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष निवासी सूमर थाना खानपुर जिला झालावाड़ हाल कृषि अधिकारी कृषि विभाग झालावाड़ मो०नं० 8949958294 तथा श्री मनीष पाठक पुत्र श्री मूलचन्द पाठक जाति ब्राह्मण उम्र 37 वर्ष निवासी मकान नम्बर 80बी कपिल वस्तु कॉलोनी झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कृषि विभाग झालावाड़ मो०नं० 9610446677 को पाबन्द कर दिया है। वह शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आ जाएंगे। दिनांक 14.02.2022 समय 10:35 एम पर श्री बबलू पुत्र श्री रोडूलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 30 वर्ष निवासी मगीसपुर तहसील सुनेल जिला झालावाड़ मय रिश्वत राशि 15,000/-रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित आया तथा पूर्व में दिनांक 08.02.2022 को स्वयं द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से दरियाफ़त पर पूछताछ की गई। दिनांक 14.02.2022 समय 10:40 एम पर पूर्व में पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय उपनिदेशक (कृषि विस्तार), जिला झालावाड़ (राज०) से श्री चौथमल पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष निवासी सूमर थाना खानपुर जिला झालावाड़ हाल कृषि अधिकारी कृषि विभाग झालावाड़ मो०नं० 8949958294 तथा श्री मनीष पाठक पुत्र श्री मूलचन्द पाठक जाति ब्राह्मण उम्र 37 वर्ष निवासी मकान नम्बर 80बी कपिल वस्तु कॉलोनी झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कृषि विभाग झालावाड़ मो०नं० 9610446677 कार्यालय में हाजिर आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया गया तथा परिवादी श्री बबलू पुत्र श्री रोडूलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 30 वर्ष निवासी मगीसपुर तहसील सुनेल जिला झालावाड़ से आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 08.02.2022 को एसीबी कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तथा उनसे ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई व प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 14.02.2022 समय 10:50 एम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चौथमल व श्री मनीष पाठक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुए डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 08.02.2022 को हुई वार्ता में आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी द्वारा व दिनांक 09.02.2022 को हुई वार्ता में श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री द्वारा परिवादी श्री बबलू प्रजापत से रिश्वत की मांग करना सत्यापन हुई वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.02.2022 को श्री सूरजमल कानि. नं. 521 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री बबलू प्रजापत को वार्ता को सुनाई गई जिसमें वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 14.02.2022 समय 11:50 एम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चौथमल व श्री मनीष पाठक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.02.2022 को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री बबलू प्रजापत को वार्ता को सुनाई गई उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 14.02.2022 समय 12:50 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत व स्वतंत्र गवाहान श्री चौथमल व श्री मनीष पाठक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है। जिनका परस्पर परिचय कराया जाने के उपरान्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढ़कर हालात बताये गये। जिन्होने स्वैच्छा से गोपनीय कार्यवाही में शामिल होने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने—अपने हस्ताक्षर किये फिर निर्देशनुसार परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने रुबरु गवाहान अपने पास से 15,000 रूपये राशि के 500-500 रूपये के कुल 30 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतंत्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. के द्वारा ही 15,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटों पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री चौथमल से परिवादी श्री बबलू प्रजापत की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि० नं० 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री बबलू प्रजापत की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां

रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने संवय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रैप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि० से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि० के दाहिने हाथ की अंगुलियों को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों के हाथ लगाएगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि० के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रैप सामग्री किट, चम्मच, खाली पब्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रैप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि० एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यणों ने अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रैप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास संवय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल ट्रैप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री बबलू प्रजापत को सुपुर्द किया गया। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 14.02.2022 समय 01:40 पीएम पर ट्रैप कार्यवाही हेतु रवाना होने की तैयारी से पूर्व परिवादी श्री बबलू प्रजापत के पास उसके मोबाइल पर कॉल आने पर उसने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री जगदीश पाटीदार ने मेरे मोबाइल पर बताया कि श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी तथा मैं किसी राजकीय कार्य से अचानक बाहर जाने का कार्यक्रम बन गया है। अतः हम दोनों नहीं मिल सकेंगे। इसलिए तुम तुम्हारे मकान का पट्टा बनवाने के काम के लिए कल मोबाइल पर सम्पर्क करके ही आना। आज हम बाहर जा रहे हैं। चूंकि परिवादी श्री बबलू प्रजापत द्वारा दोनों आरोपीणों के बाहर जाने की दशा में आज ट्रैप की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में रखी गयी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000रुपये को श्री हर्ष कुमार कानि० नं. 234 से रुबरु स्वतंत्र गवाहान निकलवाकर एक लिफाफे में रखी जाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि० नं. 26 को सुरक्षित रूप से मालखाना में रखने के निर्देश दिये गये। तथा परिवादी को रिश्वत लेन-देन के दौरान होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को भी परिवादी श्री बबलू प्रजापत से प्राप्त कर श्री गोपाल लाल हैड कानि० नं 26 को सुरक्षित मालखाना रखने के निर्देश दिये गये। दिनांक 14.02.2022 समय 02:00 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत तथा स्वतंत्र गवाहान श्री चौथमल व श्री मनीष पाठक को अब तक की कार्यवाही के संबंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। तथा परिवादी श्री बबलू प्रजापत को आरोपितों से सम्पर्क कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने तथा स्वतंत्र गवाहान को प्रातः 09 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रुखसत किया गया। तथा ब्यूरो स्टाफ को भी प्रातः 08.30 बजे ब्यूरो कार्यालय में गोपनीय कार्यवाही हेतु उपस्थित आने बाबत् पाबन्द किया गया। दिनांक 15.02.2022 समय 10:00 एएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत कार्यालय में उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया कि मैंने मोबाइल से पता किया है। श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी उसके हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान सुनेल पर ही उपस्थित है तथा उन्होंने आज मुझे रिश्वत लेकर बुलाया है। दिनांक 15.02.2022 समय 10:40 एएम पर पूर्व में पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री चौथमल पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष निवासी सूमर थाना खानपुर जिला झालावाड़ हाल कृषि अधिकारी कृषि विभाग झालावाड़ मो०नं० 8949958294 तथा श्री मनीष पाठक पुत्र श्री मूलचन्द पाठक जाति ब्राह्मण उम्र 37 वर्ष निवासी मकान नम्बर 80बी कपिल वस्तु कॉलोनी झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कृषि विभाग झालावाड़ मो०नं० 9610446677 कार्यालय में हाजिर आये। जिन्हे परिवादी श्री बबलू प्रजापत से रुबरु करवाया। तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि० को निर्देश देकर मालखाने में लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 15,000रुपये व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर मंगवाये गये। गवाह श्री चौथमल कृषि अधिकारी से परिवादी श्री बबलू प्रजापत की तलाशी लिवायी गयी। रिश्वत राशि लिफाफे से निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाई गयी। तथा परिवादी को रिश्वत के लेन देन के समय वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल

वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। तथा परिवादी को पुनः समझाईश की गयी, रास्ते में रिश्वत राशि के हाथ नहीं लगाये आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर उसे दे। दिनांक 15.02.2022 समय 11:00 एम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री चौथमल व श्री मनीष पाठक तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरजमल कानि. 521, श्री पवन कुमार कानि. 28 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब सुनेल की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री बबलू प्रजापत को उसकी स्वय की मोटरसाईकिल से रवाना किया। तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 15.02.2022 समय 12:20 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित नया बस स्टेण्ड सुनेल के पास पहुंचकर रुका तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। तथा इस पर परिवादी को हिदायत देकर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद के घर पर मय डिजिटल टेप व रिश्वत राशि के उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी बोलेरो जीप में ही परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। दिनांक 15.02.2022 समय 12:30 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत बिना कोई ईशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा उसने बताया कि आरोपी श्री अजीज मोहम्मद के परिजनों ने कहा कि वह किसी आवश्यक कार्य से बाजार में गये है। एक घण्टे बाद आयेंगे। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बबलू प्रजापत को आरोपी के मकान के आस-पास ही आरोपी के आने तक मुकीम रहने तथा आने पर जरिये मोबाइल अवगत कराने के निर्देश दिये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी परिवादी के ईशारे के इन्तजार में रोड़ के एक तरफ साईड में वाहन खड़े कर मुकीम रहा। दिनांक 15.02.2022 समय 01:30 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत जरिये मोबाइल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि साहब अभी-अभी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी मोटरसाईकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ आया गया है। इस पर परिवादी को आरोपी के मकान पर पुनः आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत लेन देन वार्ता करने व रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप पार्टी को अलर्ट कर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगा। तत्पश्चात् पुनः परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने मुझे मोबाइल पर अवगत कराया कि वह अपने मकान से पास में ही किराये पर ले रखे मकान पर चला गया है। मैं वहां ही जा रहा हूं। दिनांक 15.02.2022 समय 01:40 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल स्थित आरोपी के मकान के सामने स्थित दुमंजिला भवन के सामने से मुख्य सड़क पर आकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी श्री बबलू प्रजापत के पास पहुंचा तथा परिवादी से पूर्व मे रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे मे लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री बबलू प्रजापत से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे मे पूछा गया तो परिवादी ने पुछने पर रूबरू गवाहान बताया कि, आरोपी ने स्व० श्री हाशिम अली उर्फ मुन्ना भाई के दुमंजिला मकान में नीचे ग्राउण्ड फ्लोर पर सामने स्थित किराये पर लिये हुए कमरे में मुझसे अभी-अभी रिश्वत लेन-देन के संबंध मे वार्तालाप कर रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई सलेटी रंग की पेन्ट की दाहिनी जैब मे रख ली है तथा आरोपी अपने किराये के कमरे में गोल कुर्सी व टेबल पर बैठा हुआ राजकार्य कर रहा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री बबलू प्रजापत के पिछे-पिछे मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के पास ही स्थित दुमंजिला भवन के गेट से प्रवेश कर सामने वाले कमरे में पहुंचा तो, वहां पर गोल कुर्सी पर बैठे हुए पिंक कलर की शर्ट व सलेटी रंग की पेंट पहने हुए गोरे रंग के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की और ईशारा कर बताया की साहब यही, श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी जी है। जिन्होने अभी-अभी कुछ देर पहले मुझसे मेरे गांव मगीसपुर स्थित बने हुए पक्के मकान का पट्टा बनवाने की एवज में स्वय तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री के मार्फत 20,000रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर 15,000रुपये रिश्वत प्राप्त कर अपनी पहनी हुयी सलेटी रंग की पेन्ट की दाहिनी जैब मे रख ली है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को ट्रेप पार्टी व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म०नं० 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ (राज०) होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री अजीज मोहम्मद से परिवादी श्री बबलू प्रजापत से ली गई रिश्वत राशि 15,000 रुपये बाबत पूछा गया की उन्होने यह रिश्वत राशि क्यों व किस काम व उद्देश्य की एवज मे ली है। इस पर आरोपी ने रूबरू गवाहान बताया की श्री बबलू प्रजापत निवासी मगीसपुर दिनांक 07.02.2022 को हाउसिंग बोर्ड, सुनेल स्थित मकान पर उसके मकान का पट्टा बनवाने के लिए आया था। इस पर मैंने इससे कहा कि तुम श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री से मिल लो तुम्हारे मकान का पट्टा बन जाएगा। मैंने श्री बबलू

प्रजापत से कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी। दिनांक 08.02.2022 को पुनः श्री बबलू प्रजापत मेरे हाउसिंग बोर्ड, सुनेल स्थित मकान पर आया था। तो मैंने कहा कि तुम श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री से मिल लो तुम्हारे मकान का पट्टा बन जाएगा तथा पट्टे की फाईल भी उसी को ही दे देना। इसके बाद जब श्री बबलू प्रजापत ने मेरे से कहा कि 15,000 रुपये दे दूंगा तो मैंने कहा कि हां जगदीश पाटीदार से मेरी बात करा देना और मैं भी उससे बात कर लूंगा। साहब गलती हो गयी मुझे माफ करें। श्री बबलू प्रजापत के मकान की पट्टे की फाईल मेरे पास नहीं है। वह फाईल श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री के पास होगी। आरोपी के वर्जन व स्पष्टीकरण का परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने खण्डन करते हुए कहा कि साहब श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री दोनों मिले हुए हैं जो भी लोग इनके पास पट्टा बनवाने या किसी भी काम के लिए आते हैं तो श्री अजीज मोहम्मद जी उनको श्री जगदीश पाटीदार से मिलने के लिए भेज देते हैं। श्री जगदीश पाटीदार बिना रिश्वत लिये कोई काम नहीं होने देता है। श्री जगदीश पाटीदार के पास रिश्वत के रूपये पहुंचते ही यह दोनों आपस में बातचीत कर पट्टा बनाने या कोई भी काम को कर देते हैं। जब तक इनको रिश्वत राशि नहीं दी जाती तब तक यह लोगों को उनके काम के लिए चक्कर कटवाते रहते हैं। दिनांक 07.02.2022 व 08.02.2022 को आपके कार्यालय में रिपोर्ट देने के बाद जब मैं श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी जी से उनके हाउसिंग बोर्ड, सुनेल स्थित निवास पर मेरे मकान का पट्टा बनवाने के लिए मिला तो उन्होंने श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री से मिलने तथा उसको 15,000 रुपये रिश्वत राशि देने की बात कहीं थी। आपके कार्यालय में पेश की गई रिपोर्ट तथा उसके बाद कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन में भी इनके द्वारा श्री जगदीश पाटीदार को मिलने तथा 15,000 रुपये रिश्वत देने की वार्तालाप इनके द्वारा मुझसे की गई है। मेरे मकान के पट्टे की फाईल श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री के पास है। इन्होंने मुझे रिश्वत राशि के 15,000 रुपये लेकर सोमवार या आज मंगलवार को आने के लिए कहा था परन्तु कल यह दोनों सरकारी काम से बाहर चले गये थे। तथा आज श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी के हाउसिंग बोर्ड सुनेल स्थित मकान पर आप द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु भिजवाया जाने पर इनका किराये के मकान के कमरे में होना ज्ञात होने पर आज यह मुझसे 15,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये हैं। मेरे से ली गई रिश्वत राशि को इन्होंने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिया था। जहां से आप द्वारा बरामद कर ली गई है। तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर उसने अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर फरार हो गया है। फिर आरोपी के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री अजीज मोहम्मद के बायें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री मनीष पाठक को आरोपी अजीज मोहम्मद की पहनी हुयी सलेटी रंग की पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लेने के निर्देश दिये जाने पर उन्होंने तलाशी के दौरान 500-500 रुपये के नोटों की थेई पेश की। जिस पर उनकी गिनती करने पर 500-500 रुपये के कुल 30 नोट कुल राशि 15,000 रुपये होना पाया गया। तत्पश्चात अन्य गवाह श्री चौथमल शर्मा को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटों के मिलान करने के निर्देश करने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटों के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों का मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 15,000 रुपये होना बताने पर नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये जा रहे हैं। जो निम्न प्रकार हैं:-

1	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2MU 015740
2	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	0BF 028233
3	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2ES 835663
4	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	5LW 972582
5	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	OLQ 539270
6	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	5TG 299032
7	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9EU 510265
8	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	1GH 051574
9	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	1EL 714267
10	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	5CU 473974

11	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	8AL 493862
12	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	4EM 932108
13	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2BK 141267
14	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9BV 968642
15	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	4HG 197829
16	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	7WN 794274
17	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9UR 002813
18	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	3QP 112412
19	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2UT 475442
20	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	6LA 428077
21	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2DA 954218
22	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	8LK 885144
23	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	8LH 943888
24	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	3VB 258176
25	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	3BK 722823
26	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	7LN 395403
27	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	1KE 117831
28	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	4SL 145248
29	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2QP 297827
30	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	1MM 912998

उक्त बरामद नोटों को कागज में मौके पर ही सील-मोहर चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त बरामदशुदा नोटों के अलावा आरोपी की सलेटी रंग की पेन्ट की बायी जैब में 2230रुपये मिले जो आरोपी के बताये अनुसार उनके बड़े पुत्र श्री इमरान को लौटाये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान, दस्तावेज, नकदी व अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली, जिसे ब्यूरो द्वारा कब्जे में लिया जावे। तदुपरान्त आरोपी श्री अजीज मोहम्मद की पहनी हुयी सलेटी रंग की पेन्ट की दाहिनी जैब की धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद को अन्य पेन्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई, पहनी हुयी सलेटी रंग की पेन्ट की दाहिनी जैब को उल्टवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर मौके पर ही सील-मोहर चिट कर मार्का पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पेन्ट की जैब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा में सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपड़े की थेली में रखकर सील चिट करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। फर्द मूर्तिब की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनायी गयी एवं उनके अपने हस्ताक्षर करवाये गये। घटनास्थल के आस पास मस्जिद व कॉलोनी में मुसलिम समाज के लोगों की बढ़ती भीड़ के मध्यनजर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद को सरकारी वाहन में बैठाकर हमराह ब्यूरो स्टाफ, स्वतंत्र गवाहान व साथ में ले गये वाहनों के घटनास्थल से रवाना होकर अग्रिम कार्यवाही के लिए सुरक्षित स्थल पुलिस थाना सुनेल के निकट स्थित पंचायत-समिति कार्यालय सुनेल रवाना हुआ। समय 02:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी तथा आरोपी को साथ लेकर पंचायत समिति सुनेल पहुंचा। पूर्व मे परिवादी श्री बबलू प्रजापत से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जा चुका है, जिसे ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तैयार की जावेगी। परिवादी श्री बबलू प्रजापत के पेण्डिंग कार्य (मकान का पट्टा बनाने की पत्रावली) की फाईल अन्य आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री के पास होना बताया है, उसके गिरफ्तार होने पर जब्त की जावेगी। एवं अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी श्री अजीज मोहम्मद से अन्य आरोपी श्री जगदीश पाटीदार तथा पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांग व लेन देन के बारे में गहनता से पूछताछ प्रारम्भ की गई। समय 04:10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री बबलू प्रजापत को साथ लेकर घटनास्थल आरोपी का किराये के मकान पर पहुंचा। तथा परिवादी श्री बबलू प्रजापत की निशानदेही पर फर्द निरीक्षण एवं नक्शा मौका रिश्वत लेनदेन घटनास्थल मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा पंचायत समिति सुनेल के लिए रवाना हुआ। समय 04:45 पीएम पर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म०नं० १-बी-१६ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत-मणीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज० की जामा तलाशी गवाह श्री मणीष पाठक से


लिवायी जाकर रुबरु गवाहन श्री चौथमल एवं श्री मनीष पाठक के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अजीज मोहम्मद की गिरफ्तारी की सूचना उसके बड़े पुत्र श्री इमरान को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 04:55 पीएम पर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म0नं0 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज0 को स्वतंत्र गवाहन श्री चौथमल एवं श्री मनीष पाठक के समक्ष, दिनांक 08.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 15.02.2022 को रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, का परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ने फर्द पर ही संवय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि “ मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं करवाना चाहता हूँ।” अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के मकान की खाना तलाशी ली जानी है। अतः आरोपी श्री अजीज मोहम्मद व दोनों स्वतंत्र गवाहन व जाब्ते को साथ लेकर आरोपी के रिहायशी मकान 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल हेतु रवाना हुआ। समय 05:15 पीएम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म0नं0 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज0 को साथ लेकर मय हमराही दोनों स्वतंत्र गवाहन व जाप्ता के वास्ते खाना तलाशी घटनास्थल के पास ही स्थित आरोपी के रिहायशी मकान 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल पहुंचा। जहां मकान के सामने ही आरोपी का बड़ा लड़का श्री इमरान मौजुद मिला उसको मकान की खाना तलाशी लिये जाने के बारे में समझाकर मकान की खाना तलाशी ली गई। जिसकी फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द की एक प्रति आरोपी के लड़के श्री इमरान को दी गई। समय 06:30 पीएम सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 15,000रुपये मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। तथा परिवादी को भी उसकी संवय की मोटर साईकिल से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिये गये। समय 07:30 पीएम मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतंत्र गवाहन, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अजीज मोहम्मद व दोनों स्वतंत्र गवाहन, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ के ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्प्ल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। कुछ ही समय बाद परिवादी भी कार्यालय में उपस्थित आया। समय 07:40 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत एवं दोनों स्वतंत्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 15.02.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी एवं परिवादी के बीच हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री सूरजमल कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मूर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 08:00 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.02.2022 को आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री बबलू प्रजापत के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 14.02.2022 को समय 10.50 एएम पर तैयार की गई थी व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.02.2022 को आरोपी श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री व परिवादी श्री बबलू प्रजापत के मध्य रिश्वत से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 14.02.2022 को समय 11.50 एएम पर तैयार की गई थी एवं दिनांक 15.02.2022 को रिश्वत लेन देन के समय आरोपी श्री अजीज मोहम्मद व परिवादी श्री बबलू प्रजापत के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 15.02.2022 को समय 08.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त तीनों वार्ता कार्यालय कम्प्यूटर में सेव थी उक्त तीनों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें दो सीडी आरोपीयों के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 08:15 पीएम पर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री सूरजमल कानि. नं. 521 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। समय 08:20 पीएम पर परिवादी श्री बबलू प्रजापत एवं दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री चौथमल व श्री मनीष पाठक को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रुखसत किया गया। समय 08:40 पीएम पर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री सूरजमल कानि. नं. 521 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री बबलू पुत्र श्री रोडूलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 30 वर्ष निवासी मगीसपुर तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ (राज0) से आरोपी श्री

अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म०नं० 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज० द्वारा परिवादी श्री बबलू प्रजापत के गांव मगीसपुर में निर्मित मकान का पट्टा बनाने की एवज में स्वयं तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री के मार्फत 20,000रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर सत्यापन के दौरान स्वयं अथवा सहायक सेकेट्री को 15,000रुपये रिश्वत राशि देने की सहमति देने पर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी को आज उसके किराये के मकान जिसमें वह सरकारी राजकार्य करता है, स्वयं 15,000रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री को भनक लगने पर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। परिवादी द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं दिनांक 08.02.2022 तथा 09.02.2022 व रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.02.2022 तथा फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं दोनों हाथ धुलाई व रिश्वत राशि रखी पेंट की जेब के धोवन से साबित पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही के दौरान आये परिस्थितिजन्य साक्ष्य व परिवादी श्री बबलू प्रजापत का प्रार्थना पत्र, दोनों फर्द ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन वार्ता दिनांक 08.02.2022 व 09.02.2022 तथा रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 15.02.2022, फर्द बरामदगी दिनांक 15.02.2022 जिसमें रिश्वत राशि 15,000रुपये आरोपी अजीज मोहम्मद की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद हुई। आरोपी अजीज मोहम्मद के दोनों हाथों के धोवन व पेन्ट के धोवन से आरोपी श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म०नं० 1-बी-16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज० व श्री जगदीश पाटीदार पुत्र श्री रामनारायण जाति पाटीदार उम्र 45 साल निवासी कुण्डला प्रताप तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ हाल सहायक सेकेट्री (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज० के विरुद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः उपरोक्त दोनों आरोपीगणों के विरुद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, सी०पी०एस० राज० जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

  
भवनी शकर मीणा )  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो,  
झालावाड़।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं आरोपीगण 1.श्री अजीज मोहम्मद, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल, जिला झालावाड़ एवं 2.श्री जगदीश पाटीदार, सहायक सेकेट्री (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल, जिला झालावाड़ के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 49/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

*ला* 16.2.22  
पुलिस अंधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 454-58 दिनांक 16.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झालावाड़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

*ला* 16.2.22  
पुलिस अंधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।